न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— मेघना चौधरी, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—352/2019/225 (2019/00352)

1. यशपाल पुत्र शोभागमल, जाति महाजन, निवासी ग्राम खरवा, तहसील मसूदा, जिला अजमेर हाल निवासी गौतम मेडिकल स्टोर, जानकी वल्लभ मंदिर के पास, नानीगेट रोड़, सीकर ।

अपीलांट

बनाम

1. दुर्गासिंह पुत्र स्व0 अमरसिंह, जाति रावणा राजपूत, निवासी ग्राम खरवा, तहसील मसूदा, जिला अजमेर ।
2. श्रीमती कमला देवी पुत्री अमरसिंह पत्नि अमरसिंह, जाति रावणा राजपूत, निवासी ग्राम खरवा, तहसील मसूदा, जिला अजमेर हाल निवासी ग्राम सापोला पोस्ट रामपुरा, तह0 आसीन्द, जिला भीलवाड़ा ।
3. श्रीमती मुन्नी देवी पुत्री अमरसिंह पत्नि ढगलसिंह, जाति रावणा राजपूत, निवासी ग्राम खरवा, तह0 मसूदा, जिला अजमेर हाल निवासी ग्राम रायपुर दरवाजे के पास, तहसील रायपुर, जिला पाली ।

असल—रेस्पोडेंटस

4. दिनेशपाल पुत्र शोभगमल,
5. योगेन्द्रपाल पुत्र शोभागमल,
6. श्रीमती शोभा देवी पत्नि शोभागमल,
   समस्त जाति महाजन, निवासी ग्राम खरवा, तहसील मसूदा, जिला अजमेर
7. अभयराज पुत्र रामपाल, जाति जैन, निवासी ग्राम खरवा, तहसील मसूदा, जिला अजमेर ।
8. प्रकाश जांगिड़ पुत्र भागचंद, जाति खाती, निवासी गजानंद कॉलोनी, हाऊसिंग बोर्ड ब्यावर, जिला अजमेर ।
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (लैण्ड होल्डर) तहसील मसूदा, जिला अजमेर ।

तरतीबी रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध आदेश विद्वान उपखण्ड अधिकारी, मसूदा दिनांक 6.4.2018 अंतर्गत प्रकरण संख्या 28/2016.

उपस्थितः—

1. श्री शशिकांत जोशी एवं श्री अमर झंवर वकील अपीलांट ।
2. श्री रोहित सोनी, वकील रेस्पो0 संख्या 1 से 3.
3. रेस्पो0 संख्या 4 से 9 की तलबी बंद ।

निर्णय

दिनांकः— 5.10.2021

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, मसूदा के आदेश दिनांक 6.4.2018 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

2. प्रार्थीगण/असल रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 3 के द्वारा अधी0न्याया0 के समक्ष प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251–ए राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत पेश अपीलांट व राजस्थान सरकार के विरूद्ध पेश कर कथन किया कि मूल आवेदकगण अपनी खातेदारी की कृषि भूमि स्थित ग्राम खरवा के खसरा नंबरान क्रमशः 1542, 1545, 1546, 1549, 1550, 1556 में आवगमन हेतु अनावेदकगण की खातेदारी की आराजी खसरा नंबर 1553, 1555 व 1558/1 में मौजूद रास्ते का उपयोग व उपभोग करते आ रहे है इसलिये उक्त खसरा नंबरान की आराजी में से 20 फिट चौड़ा व 500 फीट लंबा रास्ता स्वीकृत किया जावे । अधी0न्याया0 ने अपने आदेश दिनांक 6.4.2018 द्वारा प्रार्थीगण/रेस्पो0 संख्या 1 से 3 का प्रार्थना पत्र धारा 251–ए राज0काश्त0अधि0 स्वीकार कर रास्ते के आदेश पारित किये। अधी0न्याया0 के इस आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है ।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश न्याय, नियम एवं विधि के प्रतिकूल होने से निरस्तनीय है । अधी0न्याया0 द्वारा प्रश्नगत प्रकरण को निर्णित करते समय राजस्थान काश्तकारी (सरकार) नियम 1955 के आज्ञापक नियम 69 को स्पष्टतः अनदेखा किया गया है । नियम 69 में प्रावधान किया गया है कि आवेदन की प्राप्ति उपरांत उपखण्ड अधिकारी या तो स्वंय स्थल का निरीक्षण करेगा, भूअभिलेख निरीक्षक से अनिम्न रैंक के किसी अधिकारी से उसका निरीक्षण करवायेगा और प्रभावित व्यक्तियों से आक्षेप आमंत्रित करेगा । यदि उपखण्ड अधिकारी का, पक्षकारों को सुनवाई अवसर देने और ऐसी जांच जो आवश्यक समझे, करने के पश्चात् यह समाधान हो जाता है कि– आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता है और यह केवल धृति के सुविधाजनक उपयोग के लिए नही है और, विशेष रूप से अन्य खातेदार की धृति में से नये रास्ते के मामलें में, पहुंच के वैकल्पिक मार्गो का अभाव है, तो वह आवेदन पत्र मंजूर कर सकेगा । प्रश्नगत प्रकरण में पत्रावली पर मौजूद विवादित रास्ते की मौका रिपोर्ट दिनांक 12.1.2018 के अवलोकन से ही स्पष्ट है कि उक्त रिपोर्ट पटवारी हल्का खरवा द्वितीय द्वारा निर्मित्त की गई है, जिसे तहसीलदार मसूदा ने अपने पत्र दिनांक 15.12.2018 के साथ संलग्न कर विचारण न्यायालय को प्रेषित की है । उक्त परिस्थिति से स्पष्ट है कि नियम 69 के आज्ञापक प्रावधानों की पालना प्रश्नगत प्रकरण में नहीं हुई है एवं प्रकरण में विवादित रास्ते के मौके की जांच एकतरफा में पटवारी हल्का द्वारा की गई है जो भू–अभिलेख निरीक्षकसे नीचे के रेंक का राजस्व कर्मवारी है । इस कारण अधी0न्याया0 द्वारा पारित आदेश निरस्तनीय है । बहस में आगे कथन किया कि रिपोर्ट तैयार करने से पूर्व प्रार्थीगण को मौके पर आने हेतु नोटिस भी नही दिये गये एवं न ही आक्षेप आमंत्रित किये गये है । अधी0न्याया0 ने आदेश पारित करते समय इस तथ्य पर भी ध्यान नहीं दिया कि असल रेस्पो0/प्रार्थीगण के पास अपने खातेदारी की आराजी में आवागमन हेतु वैकल्पिक रास्ता मौजूद है । इस बिन्दु को प्रफोर्मा रेस्पो0 संख्या 4 से 7 ने अधी0न्याया0 के समक्ष अपने जवाब में विस्तृत रूप से उठाया है कि आवेदनकर्ता की आराजी में आवागमन हेतु वैकल्पिक रास्ता है जिसका वे उपयोग उपभोग करते आ रहे है एवं अपीलांटस की भूमि में से आवागमन नहीं किया जाता है । प्रार्थीगण/असल रेस्पो0 की आराजी में आवागमन हेतु खसरा संख्या 1542 में से होकर सीधा रास्ता खसरा संख्या 1454 में जा रहा है एवं उक्त खसरे मे से होकर खसरा संख्या 1546 तक रास्ता जाता है जिसके पश्चात् खसरा नंबर 1550 में से होकर

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

सीधा रास्ता खसरा संख्या 1556 तक जाता है एवं उक्त रास्ता पहले से मौजूद है । विधि द्वारा यह सुस्थापित है कि किसी काश्तकार को उसकी आराजी में आवागमन हेतु न्यायालय द्वारा रास्ता तभी प्रदत्त किया जा सकता है जब उस काश्तकार को रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता है और यह आवश्यकता जोत के सुविधाजन उपयोग के लिए कतई नहीं है, विशेषकर नवीन रास्ते के प्रकरण में जोत पर पहुंचने हेतु वैकल्पिक रास्ते का अभाव सिद्ध होना चाहिये । मान0 उच्च न्यायालय एवं मान0 राजस्व मण्डल ने अपने विभिन्न न्यायिक दृष्टांतों में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि जहां पूर्व से ही वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध हो वहां किसी पक्षक विशेष्ज्ञ की सुविधा मात्र के लिए नवीन रास्ता स्वीकृत नहीं किया जा सकता है । प्रश्नगत प्रकरण में विचारण न्यायालय द्वारा प्रक्रियात्मक प्रावधानों की अनदेखी की गई है क्योंकि अपीलांट अन्यंत्र जगह पर अपने परिवार से पृथक ग्राम खरवा एवं अजमेर जिले से बाहर रहता है जहां पर अपीलांट को सूचना हेतु सही पते के नोटिस नहीं भेजे गये है । अधी0न्याया0 के समक्ष प्रार्थीगण/रेस्पो0 का प्रकरण दिनांक 12.7.2017 को अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज कर दिया गया था तब इसे रेस्टोर करने के आवेदन में भी अपीलांट को सूचित करने हेतु नोटिस जारी नहीं किये । प्रकरण दिनांक 1.9.2017 को रेस्टोर किये जाने के उपरांत भी अपीलांट को नोटिस जारी नहीं किये गये जबकि रेस्टोन किये जाने के उपरांत अपीलांट को नोटिस दिया जाना आवश्यक था । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधी0न्याया0 का आदेश निरस्त किया जावे तथा प्रकरण को गुणावगुण पर निर्णित करने हेतु अधी0न्याया0 को रिमाण्ड किया जावे । विद्वान वकील अपीलांट ने अपने कथनों के समर्थन में मान0राजस्व मण्डल द्वारा प्रकरण संख्या 6449/2017 में पारित निर्णय दिनांक 2.2.2021 एवं 6533 व 6535/2019 में पारित निर्णय दिनांक 14.11.2019 की प्रति, डी0एन0जे0 2019 (2) पेज 663 राज0 हाई कोर्ट, डी0एन0जे0 2019 (1) पेज 63, आर0आर0टी0 2017 (1) पेज 342, आर0आर0टी0 2017 (2) पेज 789 व 1088, आर0आर0टी0 2016–17 पेज 597, आर0आर0टी0 2016 (2) पेज 1281 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये ।

5. विद्वान वकील अपीलांट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 पेश कर कथन किया कि अधी0न्याया0 ने अपीलांट की अनुपस्थिति में उसी पीठ पीछे उसके सही पते पर पर्याप्त एवं समुचित तामील न करवाते हुए प्राकृतिक व नैसर्गिक न्याय से वंचित करते हुए आदेश पारित किया है जिसकी उपरोक्त कारणों से निर्धारित समयावधि में जानकारी अपीलांट को प्राप्त नहीं हो सकी थी । अपीलांट को उक्त आदेश की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 16.9.2019 को जब हुई जब तहसीलदार ने प्रकरण संख्या 392/2010 में पारित निर्णय दिनांक 16.9.2019 से अपीलांट की भूमि के बाबत् ही उसे अतिक्रमी मानकर मौके पर उसकी फसल हटाने जाने के आदेश प्रदान किये तब अपीलांट सीकर से अतिशीघ्र उपखण्ड अधिकारी मसूदा के कार्यालय में जाकर प्रकरण की जानकारी प्राप्त कर प्रकरण की नकलें आदि प्राप्त कर जानकारी से अंदर मियाद यह अपील पेश की है । अपील में हुआ विलंब उचित एवं सद्भाविक है । अतः विलंब माफ किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जावे ।

6. विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 3 ने बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधिसम्मत् है । रेस्पो0 संख्या 1 से 3 की खातेदारी काश्तकारी की आराजियात मौजा खरवा में खसरा संख्या 1545 रकबा 1–4–10, 1549 रकबा 3–10–10 तथा (खसरा संख्या 1556 रकबा 3–9–00, 1542 रकबा 00–19–10, 1546 रकबा 00–03–10, 1550 रकबा 00–10–00) का 1/2 हिस्सा की भूमियां राजस्व रिकार्ड में दर्ज

है। उपरोक्त भूमियों में आवागमन हेतु कोई रास्ता मौके पर उपलब्ध नहीं है । प्रार्थीगण/रेस्पो0 अपनी उपरोक्त खातेदारी की आराजियात में आने जाने के लिए रास्ता नहीं होने से अपीलांट अपने पूर्वजों के समय से ही अप्रार्थीगण/अपीलांट एवं प्रफोर्मा रेस्पो0 की भूमियां खसरा नंबर 1553, 1554, 1555, 1558/1 में से होकर के अपनी आराजियात पर आता जाता रहा है । रेस्पो0 संख्या 1 से 3 की आराजियात में आवागमन हेतु उक्त रास्ते के अतिरिक्त अन्य कोई रास्ता नहीं है । रेस्पो0 को रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता होने से पटवारी हल्का ने भी अपनी रिपोर्ट में अपीलांट की आराजियात में से रास्ता दिया जाना उचित माना है । धारा 251–ए राज0काश्त0अधि0 के तहत खातेदार की आराजियात में आवागमन का रास्ता नहीं होने की स्थिति में तथा रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता होने पर रास्ता प्राप्त करने का रेस्पो0/प्रार्थीगण अधिकारी है। अधी0न्याया0 ने धारा 251–ए राज0काश्त0अधि0 में प्रावधित प्रावधानों के मध्य नजर प्रार्थना पत्र स्वीकार कर रास्ते के आदेश पारित किये है जो विधिसम्मत् आदेश है । बहस में यह भी कथन किया कि अपीलांट ने अपीलाधीन निर्णय के विरूद्ध भारी मियाद बाहर अपील पेश की है तथा विलंब के भी संतोषप्रद कारण अंकित नहीं किये है । अतः अपील अपीलांट मियाद पेश किये जाने से खारिज की जावे ।

7. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों तथा अधी0न्याया0 के आदेश का अवलोकन किया । हम सर्वप्रथम अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 का निस्तारण करना उचित समझते है । अधी0न्याया0 ने दिनांक 6.4.2018 को निर्णय पारित कर रेस्पो0 संख्या 1/प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 251–ए राज0काश्त0अधि0 स्वीकार किया है । अधी0न्याया0 के निर्णय दिनांक 6.4.2018 के विरूद्ध अपीलांटस द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष दिनांक 27.9.2019 को अपील पेश की गई है जो लगभग 17 माह के विलंब उपरांत पेश की गई है । अपीलांट ने प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 में विलंब के कारण अंकित करते हुए कथन किया कि अधी0न्याया0 ने उसके सही पते पर पर्याप्त एवं समुचित तामील न करवाते हुए अपीलांट की अनुपस्थिति में उसकी पीठ पीछे अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जिससे निर्णय की जानकारी नही हो सकी थी । अपीलांट ने अपीलाधीन निर्णय की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 16.9.2019 को तहसीलदार द्वारा प्रकरण संख्या 392/2010 में पारित निर्णय की पालना में मौके पर फसल हटाये जाने के आदेश प्रदान किये जाने पर होने का कथन किया है । इस संबंध में पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधी0न्याया0 द्वारा अपीलांट/अप्रार्थी को जारी नोटिस उसकी माता शोभादेवी पत्नि शोभागमल को ग्राम खरवा, तहसील मसूदा के पते पर तामील हुए । इसी प्रकार अन्य अप्रार्थीगण दिनेशपाल, योगेन्द्र पि0 शोभागमल एवं श्रीमती शोभादेवी पत्नि शोभागमल के नोटिस भी श्रीमती शोभादेवी को तामील कराये गये है। अन्य अप्रार्थीगण ने माता श्रीमती शोभादेवी के द्वारा तामील नोटिस की सूचना के आधार पर अधी0न्याया0 के समक्ष उपस्थित होकर जवाब पेश किया है । श्रीमती शोभादेवी अपीलांट की माता है जिससे यह नहीं माना जा सकता कि अपीलांट की माता ने अपीलांट का नोटिस प्राप्त करने के उपरांत अपीलांट को सूचना नहीं दी हो । अपीलांट की माता परिवार की व्यस्क सदस्य है जिसको कराई गई तामील व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 5 के तहत विधिसम्मत् तामील है । व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 5 के अनुसार परिवार के व्यस्क सदस्य को कराई गई तामील को तामील की श्रेणी में माना है । अपीलांट ने अपने अपीलमीमों में यह कहीं भी अंकित नहीं किया कि अपीलांट की माता उसके साथ नहीं रहती है अथवा उसकी

माता अन्य भाईयों से उसकी बोल–चाल नहीं हो । जहां तक अपीलांट का यह कथन कि अपीलांट के गलत पते पर नोटिस भिजवाये गये थे । अपीलांट द्वारा अपील मीमों में भी स्वंय का पता ग्राम खरवा, तहसील मसूदा जिला अजमेर अंकित करते हुए हाल पता गौतम मेडिकल स्टोर, जानकी वल्लभ मंदिर के पास, नानी गेट रोड़, सीकर अंकित किया गया है । उपरोक्त दस्तावेजी साक्ष्यों से स्पष्ट है कि अपीलांट को अधी0न्याया0 द्वारा जारी किये गये नोटिस विधिवत् रूप से तामील होने के बावजूद अपीलांट अधी0न्याया0 के समक्ष अनुपस्थित रहा। अन्य अप्रार्थीगण एवं उसकी माता भी प्रकरण में पक्षकार थे जो अधी0न्याया0 के समक्ष उपस्थित रहे है जिन्हें निर्णय की प्रारंभ से जानकारी थी तथा जिनके द्वारा निर्णय की जानकारी अपीलांट को नहीं दी गई हो । उपरोक्त दस्तावेजी साक्ष्यों से स्पष्ट है कि अधी0न्याया0 द्वारा जारी नोटिस अपीलांट को विधिसम्मत् रूप से तामील कराये गये थे तथा अपीलांट को अधी0न्याया0 की पूर्ण जानकारी थी इसके बावजूद अपीलांट द्वारा जानबूझकर लगभग 17 माह उपरांत उपरांत हस्तगत अपील पेश की है जो निश्चित रूप भारी मियाद बाहर पेश की गई है। अपीलांट ने इतने भारी विलंब के संबंध में भी कोई संतोषप्रद एवं ठोस कारण अंकित नहीं किये है जबकि अपीलांट को दिन–प्रतिदिन के विलंब के ठोस एवं संतोषप्रदान कारण बताना आवश्यक है । अपीलांट दस्तावेजी साक्ष्यों से प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 को साबित करने में असफल रहा है । अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 निरस्त किया जाता है तथा अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील भारी मियाद बाहर पेश किये जाने से इसी स्तर पर खारिज की जाती है।

8. अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील भारी मियाद बाहर पेश किये जाने से मियाद बिन्दू पर खारिज की जाती है । अधी0न्याया0 उपखण्ड अधिकारी, मसूदा का निर्णय दिनांक 6.4.2018 यथावत् रखा जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

9. निर्णय आज दिनांक 5.10.2021 मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर